



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460 | E-mail: gstdvvn@gmail.com |

GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

पत्रांक : 86 / द०वि०वि०नि०लि० / आगरा / जी०एस०टी०
मुख्य अभियन्ता (वितरण) / (सामग्री प्रबन्ध- I / II)
(तकनीकी) / (वाणिज्य) / (जानपद) / (प्रशासन),
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा / आगरा-द्वितीय / अलीगढ़ / कानपुर / झाँसी / बाँदा।
विषय :- 01 जनवरी 2019 से लागू जी०एस०टी० में संशोधन के सम्बन्ध में।

दिनांक 02/01/2019

अधीक्षक अभियन्ता (मण्डार) /
अधिसासी अभियन्ता (विद्युत मण्डार खण्ड)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा / अलीगढ़ / कानपुर / झाँसी / बाँदा।

(1) Security Services (Security Personnel) पर RCM के सम्बन्ध में-

वर्तमान में GTA Services, Services from Advocates, Services from PRD इत्यादि पर रिवर्स चार्ज प्रणाली (RCM) के तहत जी०एस०टी० (कर) सम्बन्धित इकाईयों द्वारा जमा कराया जा रहा है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन सं०-29/2018-Central Tax (Rate) दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के तहत Security Services (i.e. Security Personnel Services) को भी RCM के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। अतः यदि Security Services किसी Body Corporate (Company) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति (Individual/Proprietor/Partnership Firm etc.) से ली गयी है, तो उस पर RCM के तहत जी०एस०टी० (कर) का भुगतान भी सम्बन्धित इकाई द्वारा ही किया जायेगा। यह संशोधन 01 जनवरी 2019 से लागू होंगे।

RCM की प्रयोज्यता को निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है:-

A. Services supplied before 1st January, 2019

S.No.	Date of Invoice	Date of Payment	Time of Supply	Applicability of Reverse Charge
1	20.12.2018	30.12.2018	20.12.2018	Wherever services have been provided prior to 01.01.2019 and invoice has been issued by the service providers prior to such date, No liability under RCM arises even if the payment to the supplier has been made post 01.01.2019, as the time of supply has arisen prior to such date only.
2	10.12.2018	31.01.2019	10.12.2018	
3	10.12.2018	25.12.2018	10.12.2018	

B. Services supplied on or after 1st January, 2019

S.No.	Date of Invoice	Date of Payment	Time of Supply	Applicability of Reverse Charge
1	31.01.2019	05.02.2019	31.01.2019	RCM would be applicable
2	31.01.2019	12.12.2018 (Advance Payment)	12.12.2018	No RCM on such advance
3	31.01.2019	Total Payment Rs. 5 Lakhs Rs. 3 Lakhs (Advance paid on 12.12.2018) & Rs. 2 Lakhs on 05.02.2019	12.12.2018 31.01.2019	RCM not applicable for Rs. 3 Lakhs. However, w.r.t. Rs. 2 Lakhs liability would vest on the service recipient under RCM

(2) Income Tax -Tax Collected at Source (TCS) पर GST के सम्बन्ध में-

Circular No. 76/50/2018-GST दिनांक 31.12.2018 के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरण जहाँ Income Tax-Tax Collected at Source (TCS) का प्राविधान है, वहाँ Taxable Value में TCS को शामिल कर जी०एस०टी० चार्ज किया जायेगा। उदाहरणार्थ-

Particulars	Amount (Rs.)
Scrap Sale Value	100.00
TCS @ 1%	1.00
Taxable Value	101.00
GST @ 18%	18.18
Total	119.18

(के०सी० पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)

पत्रांक / द०वि०वि०नि०लि० / आगरा / जी०एस०टी० / दिनांक / 01/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक (वित्त/तकनीकी/वाणिज्य/का०प्र० एवं प्रशा०), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
- उप महाप्रबन्धक (वित्त), IPDS/RGGVY 12th Plan/DDUGJY/सौभाग्य योजना, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
- समस्त अधीक्षक अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि०।
- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०।
- समस्त अधिसासी अभियन्ता/आहरण एवं वितरण अधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०।
- लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।

(के०सी० पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)